



Neutral Citation No. - 2025:AHC:27111

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 4417/2026

नगीना राम

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पार्टी(यों)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : देवेंद्र मणि त्रिपाठी

विपक्षी पार्टी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए

न्यायालय संख्या- 3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना, तथा रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों का अवलोकन किया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आवेदक पीड़िता का जेठ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि घटना के दिन आवेदक उसके घर में घुसा और उसके साथ अश्लील हरकतों की तथा उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया; जबकि, धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में उसने कहा है कि घटना के दिन आवेदक ने उसकी कलाई पकड़कर उसके साथ गलत तरीके से स्पर्श किया था। हालाँकि, धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में उसने आवेदक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपनी आंतरिक चिकित्सकीय जाँच करवाने से इनकार कर दिया है। पीड़िता के अनुसार, उसकी आयु 18 वर्ष है। इस प्रकार, धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास मौजूद हैं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अतः यह तर्क दिया गया है कि यह झूठे फंसाए जाने का मामला है और आवेदक को किसी गुप्त उद्देश्य तथा दुर्भावनापूर्ण इरादे के चलते झूठे एवं मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता को सिद्ध करने हेतु कई अन्य निवेदन भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तत्पर है, और जब भी आवश्यकता होगी, वह पूरी निष्ठा के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा; साथ ही, वह उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, जिन्हें न्यायालय उस पर लागू करना उचित समझेगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 12.12.2025 से ही जेल में बंद है, और उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय विचारण-पूर्व चरण पर नहीं किया जा सकता; इसलिए, वह किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है।

4. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक-**नगीना राम** को केस क्राइम नंबर 127/2025 में, बी.एन.एस. की धारा 74, 333, 64(2) के तहत, पुलिस स्टेशन-धीना, जिला-चंदौली में, एक निजी मुचलका भरने और उतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदार पेश करने पर (जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार हों), निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को न तो धमकाएगा और न ही परेशान करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iv) आवेदक उस अपराध जैसा कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है।

v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि वह उस व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों को उजागर करने से रोक सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।

6. ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"